

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)/(R-665) अलेसे-1/628-633

दिनांक:- 14/07/25

कार्यालय आदेश

श्री रामावतार बैरवा, (लिंग नं. 2130) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय प्राचार्य, स्वर्गीय पंडित नवलकिशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा-(303303) जिनकी जन्म तिथि 01/07/1967 है, का दिनांक 24/06/2025 को निधन हो जाने के कारण इन्हे दिनांक 24/06/2025 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री रामावतार बैरवा के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)/(R-665) अलेसे-1/628-633

दिनांक:- 14/07/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय.....।
3. प्राचार्य, स्वर्गीय पंडित नवलकिशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री रामावतार बैरवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करे।
4. कोषाधिकारी, दौसा।
5. श्रीमती कमला देवी, ढाणी बसीदारयान, निहालपुरा सिकन्दरा, सिकराय, भण्डारी, दौसा, भण्डारी राजस्थान पिनकोड-303326 प्रेषित कर लेख हैं कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय प्राचार्य, स्वर्गीय पंडित नवलकिशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/ए सी आर शाखा।

(कै.जी गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)